

कार्यालय भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा0), रामानुजगंज
जिला बलरामपुर-रामानुजगंज (छ0ग0)

क्रमांक /
प्रति,

/ भू-अर्जन / 2020

रामानुजगंज, दिनांक / 12 / 2020

उप संचालक,
शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय,
खैरागढ़ रोड (चिखली), राजनांदगांव (छ0ग0)

विषय :- छत्तीसगढ़ राजपत्र में अधिसूचना का प्रकाशन बावत्।

—00—

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है, कि कार्यपालन अभियन्ता, जल संसाधन संभाग क्र0-02 रामानुजगंज, जिला बलरामपुर-रामानुजगंज (छ0ग0) से प्राप्त भू-अर्जन प्रस्ताव के अनुसार कन्हर अन्तर्राज्यीय सिंचाई परियोजना अमवार जिला सोनभद्र (उ0प्र0) एफ0टी0एल0 से एम0डब्लु0एल0 तक का डूब क्षेत्र छ0ग0 राज्य की भूमि ग्राम-झारा प0ह0नं0-01 तहसील-रामानुजगंज जिला बलरामपुर-रामानुजगंज (छ0ग0) के कुल खसरा नं0 11 रकबा 1.770 हे0 भूमि का अर्जन किया जाना है।

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 के अध्याय 4 धारा 11 के तहत अधिसूचना का प्रकाशन हेतु प्रारंभिक अधिसूचना दिनांक 29/12/2020 तीन प्रतियों में संलग्न कर आपकी ओर भेजा जा रहा है। कृपया छत्तीसगढ़ राजपत्र के आगामी अंक में उक्त अधिसूचना का प्रकाशन कराने की व्यवस्था करें।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

/sel.
(अभिषेक गुप्ता)
भू-अर्जन अधिकारी
रामानुजगंज

रामानुजगंज, दिनांक 31/12/2020

पृ0क्रमांक / 3642 / भू-अर्जन / 2020

प्रतिलिपि :-

1. संचालक, जन सम्पर्क संचालनालय, रायपुर (छ0ग0) को सूचनार्थ एवं प्रारंभिक अधिसूचना की 03 प्रतियां संलग्न कर आपकी ओर भेजी जा रही है। कृपया दो स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशित कराकर दैनिक समाचार पत्र का नाम एवं प्रकाशन तिथि से इस कार्यालय को अवगत कराने का कष्ट करें।
2. कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा) बलरामपुर-रामानुजगंज की ओर सूचनार्थ सादर सम्प्रेषित।
3. प्रभारी अधिकारी (नाजरात शाखा) जिला कार्यालय बलरामपुर जिला बलरामपुर-रामानुजगंज को सूचनार्थ एवं एक अतिरिक्त प्रति कार्यालयीन सूचना पटल पर चस्पा करने हेतु प्रेषित।
4. कार्यपालन अभियन्ता, जल संसाधन संभाग क्रमांक-02 रामानुजगंज जिला बलरामपुर-रामानुजगंज को सूचनार्थ एवं प्रारंभिक अधिसूचना का प्रकाशन हेतु आवश्यक सहयोग बावत् संप्रेषित।
5. जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी (NIC) जिला कार्यालय बलरामपुर-रामानुजगंज को सूचनार्थ कर लेख है, कि जिले की विभागीय वेबसाइट एवं छ0ग0 शासन राजस्व आपदा एवं प्रबंधन विभाग की विभागीय वेबसाइट पर उक्त अधिसूचना को अपलोड कराने का कष्ट करें।
6. तहसीलदार, रामानुजगंज को अधिसूचना की 05 प्रतियों के साथ प्रेषित। कृपया संबंधित ग्राम में अधिसूचना का प्रकाशन करायें तथा संबंधित ग्राम एवं पंचायत भवन तथा अपने कार्यालय के सूचना पटल पर चस्पा कराकर एवं प्रति अपनी रिपोर्ट सहित इस कार्यालय को वापस प्रस्तुत करें।
7. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत रामचंद्रपुर को सूचनार्थ कर लेख है, कि ग्राम स्तर पर संबंधित ग्राम सभा को अधिसूचना की अन्तर्वस्तुओं के बारे में विशेष रूप से इस प्रयोजन हेतु बुलाई गई बैठक में सूचित किए जाने हेतु एवं ग्राम के सहज दृश्य स्थानों में प्रकाशन कर इस कार्यालय को अवगत करायें।
8. कार्यालयीन सूचना पटल पर चस्पा कर प्रकाशन हेतु।

/sel.
(अभिषेक गुप्ता)
भू-अर्जन अधिकारी
रामानुजगंज

कार्यालय कलेक्टर जिला-बलरामपुर-रामानुजगंज एवं पदेन उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

प्रारंभिक अधिसूचना

क्रमांक 9859 मू-अर्जन/2020 : भूमि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि नीचे अनुसूची के कॉलम (1) से (6) में दर्शित भूमि की अनुसूची के कॉलम (7) में दर्शित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन तथा पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जाएगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सर्व संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद् द्वारा अनुसूची के कॉलम (6) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अन्तर्गत दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है।

बलरामपुर, दिनांक 29/12/2020

—: अनुसूची :-

भूमि का प्रकार					धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण	
जिला	तहसील	ग्राम/ प.ह.न.	खसरा नंबर	क्षेत्रफल (हेक्टर में)			
1	2	3	4	5	6	7	
बलरामपुर-रामानुजगंज	रामानुजगंज	आरा/01	खसरा नं.	रकबा	खसरा नं.	रकबा	कार्यपालन अभियंता जल ससंधन समाग क्र.-02 रामानुजगंज कन्हर अन्तर्राज्यीय सिंचाई परियोजना अमवार जिला सोनभद्र (उ.प्र.) एफ टी.एल से एम डब्ल्यू.एल. तक का कुछ क्षेत्र छत्तीसगढ़ राज्य की भूमि ग्राम-झारा
			33	0.340	CP 918	0.400	
			35	0.050	CP 918	0.240	
			38	0.270	CP 918	0.020	
			17	0.300	CP 918	0.020	
			29	0.060	CP 918	0.050	
					CP 918	0.020	
			कुल खसरा 11		कुल रकबा 1.77 हे०		

2. यह भी सूचित किया जाता है, कि उपरोक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से 60 दिवस के भीतर अर्जित किए जाने के लिए प्रस्थापित भूमि के क्षेत्र और उपयुक्तता के प्रति व लोक प्रयोजन के लिए दिए गए औचित्य के प्रति आक्षेप/दावा/आपत्ति लिखित में मू-अर्जन अधिकारी सह अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रामानुजगंज को स्वयं अथवा उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी व्यक्ति या किसी अधिवक्ता के माध्यम से अधिनियम, 2013 की धारा-15 की उपधारा (1) के अन्तर्गत प्रस्तुत कर सकेगा।

3. भूमि का नक्शा/प्लान का निरीक्षण मू-अर्जन अधिकारी सह अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) रामानुजगंज के कार्यालय में किया जा सकता है।

4. प्रस्तावित मू-अर्जन से किसी भी प्रभावित हितबद्ध परिवार का विस्थापन निहित नहीं है।

5. प्रस्तावित प्रयोजन के भूमि अर्जन को भूमि अर्जन, पुनर्वासन तथा पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (संख्या 30 सन् 2013) के अध्याय दो एवं तीन के प्रावधानों के तहत सिंचाई परियोजना के बाबत जहां तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन पर्यावरणीय समायात की प्रक्रिया की अपेक्षा की जाती है, इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण संबंधी उपबंध लागू नहीं होंगे।

प्रस्तावित अधिग्रहण भूमि का विस्तार क्षेत्र ऐसी परियोजनाओं के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि है और विकल्प में कोई बंजर भूमि जिसमें पडत भूमि सम्मिलित है, उक्त परियोजना हेतु उपलब्ध नहीं है।

6. प्रस्तावित मू-अर्जन के लिए अधिनियम 2013 की धारा-43 के तहत अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) रामानुजगंज जिला-बलरामपुर-रामानुजगंज (छ०ग०) को पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन हेतु प्रशासक नियुक्त किया गया है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार

(अधिकृत गुरु)
अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)
अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
रामानुजगंज
जिला बलरामपुर रा गंज (छ.ग.)

(रमानुजगंज)
कलेक्टर
जिला-बलरामपुर-रामानुजगंज
एवं पदेन उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग